अध्याय 9

औद्योगिक विकास

दिल्ली की अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि दर को गति देने में उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में औद्योगिक विकास आय में तेज वृद्धि के लिए सुरक्षित आधार उपलब्ध कराता है और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में तेज बढ़ोतरी में सहायक रहा है। दिल्ली देश का एक प्रमुख व्यापार केंद्र है और यहां उत्कृष्ट सार्वजनिक अवसंरचना और व्यापार के संवर्द्धन के लिए संपर्क संचार सुविधाएं हैं। यह राज्य बड़े पैमाने पर सेवा आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। दिल्ली सरकार व्यापार के लिए एक प्रगतिशील माहौल बनाने को प्रतिबद्ध है ताकि ज्ञान आधारित और हाइटेक सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए एक सुचारू वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है और यह योगदान उत्कृष्ट व्यावसायिक सेवाओं तथा रियल एस्टेट, परिवहन, भंडारण और संचार, होटल और रेस्त्रां इत्यादि से आता है।

1.1 सतत विकास लक्ष्यों–एसडीजी–9, जैसे **'समावेशी टिकाऊ औद्योगीकरण, नवाचार को बढावा देने,'** के संदर्भ में,नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 के आकलन के अनुसार दिल्ली देश के शीर्ष राज्यों में है। दिल्ली ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत अच्छी प्रगति की है और 2019 में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 12वें स्थान पर रहा है। दिल्ली के प्रदर्शन से कारोबार में सुगमता रैंक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और यह 2015 के 142वें से ऊपर आकर 2019 में 63वें स्थान पर आ गया है।

1.2 दिल्ली में चौड़ी सड़कें, मेट्रो ट्रेन के रूप में व्यापक परिवहन और बिजली आपूर्ति की स्थिति उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है। दिल्ली की यह ताकत उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को आकर्षित करने में सफल रही है।

1.3 उच्च आर्थिक वृद्धि, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढावा और रोजगार के अवसर ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया है। इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं– औद्योगिक अवसंरचना का विकास, पुनर्विकास और घने औद्योगिक समूहों को सुविधाजनक स्थान देना। ज्ञान आधारित उद्योगों, व्यापारिक सेवाओं, इलेक्ट्रानिकस, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, अनुसंधान और विकास गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने सहित औद्योगिक समूह बनाने को प्राथमिकता दी गई है।

1.4 दिल्ली में अन्य सभी राज्यों की तुलना में कुशल कार्यबल का सबसे बड़ा प्रतिशत है, जो इसे ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है। जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डिजाइनिंग, अनुसंधान और विकास तथा वित्तीय सेवाएं, पर्यटन, शिक्षा/कौशल विकास। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार दिल्ली को स्वच्छ उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य है। दिल्ली के निर्यात संवर्द्धन नीति और रणनीतिक कार्य योजना की तैयारी के प्रस्ताव पर काम हो रहा है और आईआईएफटी को यह काम सौंप दिया गया है।

2. छठी आर्थिक जनगणना के अनुसार दिल्ली में प्रतिष्ठानों और रोजगार का विकास

2.1 छठी आर्थिक गणना 2013 के अनुसार दिल्ली में कुल 8.75 लाख औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्यरत थे। इनमें से 1.42 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 98.58 प्रतिशत शहरी इलाकों में थे। छठी आर्थिक गणना के अनुसार वार्षिक विकास दर 1.94 प्रतिशत दर्ज की गयी और 2005 में हुई पांचवी आर्थिक गणना के मुकाबले छठी आर्थिक गणना में 1.18 लाख प्रतिष्ठानों की वृद्धि हुई। कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से 54.55 प्रतिशत ओन एकाउंट उद्यम (ओएई) थे और 45.45 प्रतिशत में कम से कम एक बाहर से पारिश्रमिक पर लिया गया कामगार {प्रतिष्ठान (एच)} था। 30.20 लाख लोग 8.75 लाख प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे थे और प्रत्येक प्रतिष्ठान में औसतन 3.45 कर्मचारी थे। कुल कर्मचारियों में से 0.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे और 99.1 प्रतिशत दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कुल प्रतिष्ठानों में से 8.05 प्रतिशत का प्रबंधन महिला उद्यमियों के पास था।

2.2 निम्नांकित चार्ट 9.1 में पांचवी (2005) और छठी (2013) आर्थिक गणना के अनुसार 2005–13 के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इनमें नियुक्त कामगारों की संख्या दर्शायी गयी हैः

चार्ट 9.1
प्रतिष्ठानों और रोजगार में वृद्धि

(लाख में)

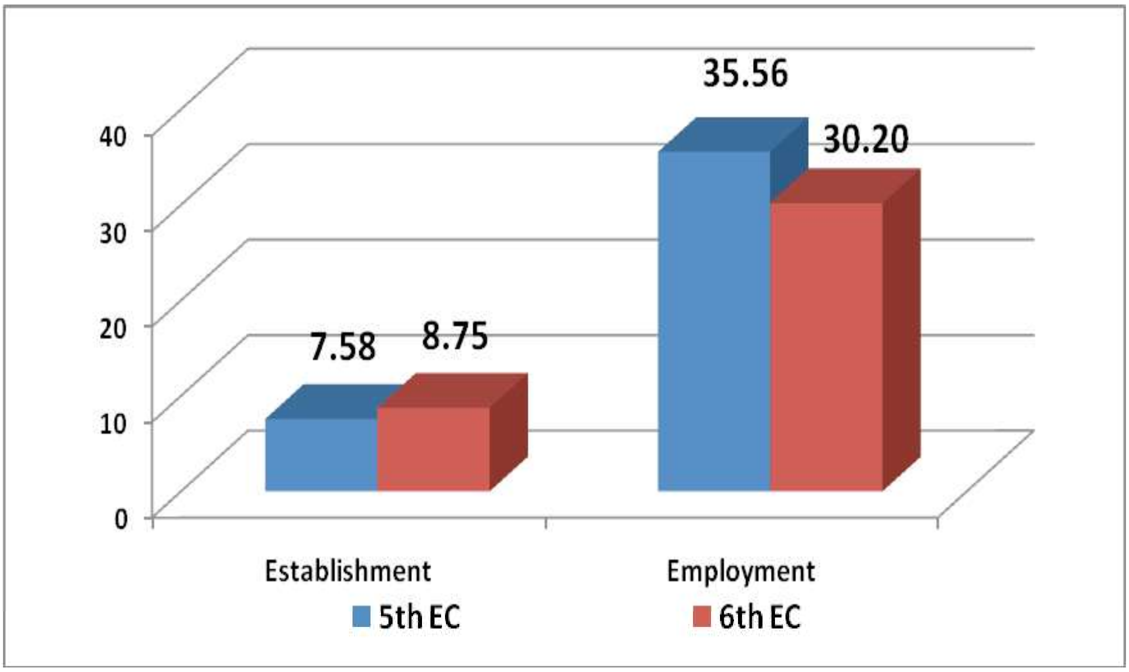

उपर्युक्त चार्ट स्पष्ट करता है कि पांचवीं से छठी आर्थिक गणना की अवधि के दौरान हालांकि प्रतिष्ठानों की संख्या 7.58 लाख से बढ़कर 8.75 लाख हो गई है, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या 35.56 लाख से घटकर 30.20 लाख पर आ गई है। यह संकेत देता है कि सख्त प्रदूषण नियमों के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार वाले प्रतिष्ठान दिल्ली से आसपास के क्षेत्रों/राज्यों में चले गए हैं।

2.3. छठी आर्थिक गणना के अनुसार प्रतिष्ठानों और उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा निम्नांकित हैं।

विवरण 9.1

जिले	प्रतिष्ठान	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
मध्य	1,50,671	5,99,058
पश्चिम	1,06,726	3,13,574
उत्तर–पश्चिम	93,297	2,86,189
उत्तर–पूर्व	86,597	1,83,313
पूर्व	80,061	2,15,979
दक्षिण–पूर्व	75,049	3,52,562
उत्तर	73,724	3,18,960
शाहदरा	71,738	2,29,663
दक्षिण	57,126	1,45,304
दक्षिण–पश्चिम	42,166	1,05,954
नई दिल्ली	38,153	2,69,225
कुल	**8,75,308**	**30,19,781**

विवरण 9.2
मौजूदा मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	द्वितीयक क्षेत्र प्रतिशत हिस्सेदारी	तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
2011-12	3.49	13.09	83.42
2012-13	2.93	14.17	82.90
2013-14	3.29	14.07	82.64
2014-15	2.79	12.26	84.95
2015-16	2.09	13.62	84.29
2016-17	1.70	13.48	84.82
2017-18	1.67	13.80	84.53
2018-19 (3^{rd} आरई)	2.08	13.45	84.47
2019-20 (2^{nd} आरई)	1.94	12.58	85.48
2020-21 (1^{st} आरई)	1.77	12.85	85.38
2021-22 (एई)	2.28	13.78	83.94

टिप्पणी : 3^{rd} आरई – तृतीय संशोधित अनुमान (तृ.सं.अ.), 2^{nd} आरई – दूसरा संशोधित अनुमान (द्वि.स अ), 1^{st} आरई – प्रथम संशोधित अनुमान (प्र.स.अ), एई – अग्रिम अनुमान

2.4 वर्ष 2020–21 और वर्ष 2021–22 के लिए मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए का अग्रिम अनुमान और पहला संशोधित अनुमान स्पष्ट करता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (फसल, पशुधन, वानिकी और लकड़ी, मत्स्य पालन, खदान और उत्खनन) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 3.49 प्रतिशत की हिस्सेदारी की तुलना में दोनों वर्षों में कम होकर 1.77 प्रतिशत और 2.28 प्रतिशत रह गया है। नियत मूल्यों पर इस योगदान में मामूली कमी आई है। वर्ष 2020–21 और वर्ष 2021–22 में यह 3.08 प्रतिशत रहा है।

2.5 मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए स्पष्ट करता है कि द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से घटकर 2020–21 (प्रथम संशोधित अनुमान) में 12.85 प्रतिशत और 2021–22 (अग्रिम अनुमान) में बढ़कर 13.78 प्रतिशत हो गया है। नियत मूल्यों पर यह वर्ष 2020–21 (पहला संशोधित अनुमान) और 2021–22 (अग्रिम अनुमान) में यह क्रमशः 13.70 प्रतिशत और 15.52 प्रतिशत हो गया है।

2.6 अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र (व्यापार, होटल और रेस्त्रा, रेलवे, परिहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, स्वामित्व और आवास तथा अन्य व्यवसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं) के योगदान में मामूली वृद्धि हो रही है। मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 83.42 प्रतिशत था जो वर्ष 2020–21 (पहला संशोधित अनुमान) और वर्ष 2021–22 (अग्रिम अनुमान) में बढ़कर 85.38 प्रतिशत और 83.94 प्रतिशत हो गया है। जबकि नियत मूल्यों पर यह घटकर वर्ष 2020–21 (पहला संशोधित अनुमान) और वर्ष 2021–22 (अग्रिम अनुमान) में 83.22 प्रतिशत और 81.40 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 9.2

राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
(मौजूदा मूल्य पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित)

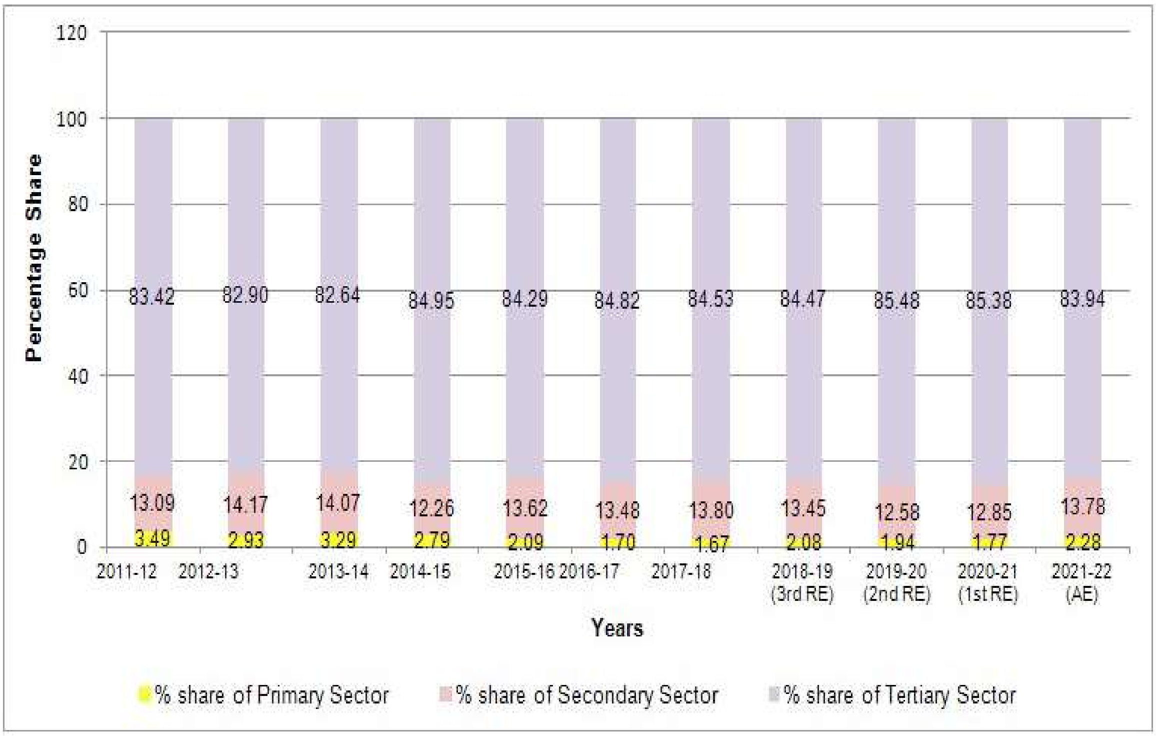

3. विनिर्माण क्षेत्र द्वारा सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) में योगदान

3.1 विनिर्माण उपक्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान करता है। विनिर्माण से जीएसवीए मौजूदा मूल्यों पर वर्ष 2020–21 और वर्ष 2021–22 के दौरान क्रमशः 33,744 करोड़ और 42,230 करोड़ रहने का अनुमान है। पूर्व वर्ष के अनुमानों की तुलना में 2020–21 में कोई बढोत्तरी नहीं हुई है और 2021–22 में 25.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार नियत मूल्यों पर जीएसवीए वर्ष 2020–21 और वर्ष 2021–22 में 28985 करोड़ रुपए और 37656 करोड़ रुपए है, पूर्व वर्षों की तुलना में इसमें (–) 0.42 प्रतिशत और 29.91 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। मौजूदा और नियत मूल्यों पर एनएसवीए अनुमान में कुल मिलाकर सकारात्मक वृद्धि का रुख है, कुछ मामूली विचलनों को छोड़कर। 2020–21 के अनुमानों के अनुसार मौजूदा मूल्यों पर एनएसवीए 30,045 करोड़ रुपए है, पिछले वर्ष की तुलना में 2.14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ। और नियत मूल्यों पर यह 25,235 करोड़ रुपए है, (–) 1.19 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार एनएसवीए मौजूदा मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में 26.99 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 38,155 करोड़ रुपए और नियत मूल्यों पर पूर्व वर्ष की तुलना में 33.44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 33,674 करोड़ रुपए था।

3.2 विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवंर्धित (जीएसवीए) का विवरण 9.3 में दर्शाया गया है।

विवरण 9.3

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	विनिर्माण	द्वितीयक क्षेत्र	आधार मूल्यों पर कुल जीएसवीए	बाजार मूल्य पर कुल जीएसडीपी	विनिर्माण की प्रतिशत हिस्सेदारी		जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
					कुल जीएसवीए	द्वितीयक क्षेत्र का कुल जीएसवीए	
2011-12	18,907	39,682	3,03,232	3,43,798	6.24	47.65	13.09
2012-13	23,350	48,498	3,42,588	3,91,388	6.82	48.15	14.17
2013-14	25,338	54,262	3,85,931	4,43,960	6.57	46.69	14.07
2014-15	23,385	53,247	4,34,241	4,94,803	5.39	43.92	12.26
2015-16	31,195	65,194	4,78,782	5,50,804	6.52	47.85	13.62
2016-17	30,117	71,616	5,31,175	6,16,085	5.67	42.05	13.48
2017-18	30,680	80,987	5,86,900	6,77,900	5.23	37.88	13.80
2018-19 (3rd आरई)	32,192	87,160	6,47,839	7,38,389	4.97	36.93	13.45
2019-20 (2nd आरई)	33,743	88,887	7,06,562	7,94,030	4.78	37.96	12.58
2020-21 (1st आरई)	33,744	89,364	6,95,718	7,85,342	4.85	37.76	12.85
2021-22 (एई)	42,230	1,11,541	8,09,350	9,23,967	5.22	37.86	13.78

स्रोत : जीएसवीए के अनुमान डीईएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा।

टिप्पणी : (3rd आरई)– तृतीय संशोधित अनुमान (तृसं.अ.), (2nd आरई)– द्वितीय संशोधित अनुमान, (1st आरई) प्रथम संशोधित अनुमान, (एई)– अग्रिम अनुमान,

3.3 विवरण 9.3 से स्पष्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र से आय वर्ष 2011–12 के 18907 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 42,230 करोड़ रुपए हो गई है। जीएसवीए में विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 6.24 प्रतिशत से कम होकर 2021–22 में 5.22 प्रतिशत रह गया है। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 13.78 प्रतिशत हो गया है।

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

दिल्ली में कुल 1,78,079 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हैं। इनमें 1,56,843 सूक्ष्म उद्यम, 18,716 लघु और 2521 मध्यम उद्यम हैं।

5. कार्यशील कारखाने

पिछले नौ वर्षों में दिल्ली में कार्यशील कारखानों की संख्या और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या के आंकड़े विवरण 9.4 में दिये गये हैं।

विवरण 9.4
कारखानो और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या

क्र. सं.	वर्ष	कारखाने	कामगारों की अनुमानित संख्या
1.	2011	8,219	3,78,361
2.	2012	8,557	3,92,270
3.	2013	8,821	4,03,270
4.	2014	8,968	4,16,927
5.	2015	8,954	4,15,278
6.	2016	8,978	4,16,833
7.	2017	9,059	4,20,156
8.	2018	9,121	4,19,578
9.	2019	8,622	4,03,517
10.	2020-21	8,643	4,04,602

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

विवरण 9.4 से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कार्यशील फैक्ट्रियों की संख्या 2011 के 8219 से बढ़कर 2020 में 8643 हो गयी है। इसी तरह इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे कामगारों की अनुमानित संख्या 2011 के 378361 से बढ़कर 2020 में 404602 हो गयी है। दिल्ली की इन फैक्ट्रियों में प्रति फैक्ट्री औसतन 47 व्यक्ति कार्य कर रहे थे।

5.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पर्यावरण संबंधी विभिन्न नियम लागू किये जाने के कारण दिल्ली की कई औद्योगिक इकाईयां सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि या तो ये इकाईयां बंद हो गयी हैं या पड़ोसी राज्यों में चली गयी हैं। इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मियों की अनुमानित संख्या अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार से बढ़ी है।

5.2 2015 से 2020 के दौरान पंजीकृत कारखानों की उद्योगवार संख्या और उनमें कार्यरत कामगारों का ब्यौरा विवरण 9.5 में दिया गया है।

विवरण 9.5
उद्योगवार पंजीकृत कारखाने और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या

क्र स.	उद्योग	कारखाने						अनुमानित कर्मचारी					
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	खाद्य उत्पाद	333	340	345	350	142	141	20,500	21,316	21,596	21,921	8,894	8,849
2	पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	44	44	49	53	34	34	3,074	3,134	3,176	2,981	1,913	1,913
3	टेक्सटाइल उत्पाद	2,012	2,013	2,020	2,008	1,519	1,514	1,39,803	1,40,408	1,40,107	1,38,788	1,04,978	1,04,738
4	काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर्स	266	269	269	273	98	97	10,356	10,541	10,541	10,702	3,842	3,800
5	कागज और कागज उत्पाद, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और अनुषंगी	771	776	785	795	587	594	30,050	29,997	30,249	30,608	22,600	22,940
6	चमड़ा और चमड़ा फर उत्पाद (मरम्मत छोड़ कर)	298	300	301	303	139	140	12,872	13,054	13,085	13,182	6,047	6,100
7	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद	666	662	674	699	754	754	15,365	14,952	15,599	15,712	16,942	16,942
8	रसायन और रसायन उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले को छोड़कर)	291	290	293	290	173	174	11,633	11,548	11,655	11,815	7,048	7,100
9	गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	82	82	82	73	11	12	2,426	2,426	2,426	1,002	151	250
10	बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	523	519	524	517	775	770	8,581	8,373	8,488	7,900	11,842	11,607
11	धातु उत्पाद और हिस्से पुर्जे मशीनरी और परिवहन उपकरण – इलेक्ट्रिकल उपकरणों सहित मशीन उपकरण	1,890	1,890	1,902	1,928	757	760	75,508	75,215	75,475	76,428	30,007	30,154
12	विद्युत, गैस और स्ट्रीम वाटर वर्क्स और आपूर्ति	104	109	126	132	195	206	5,935	6,065	6,596	6,896	10,187	10,692
13	ईंधन, 47 रसायन, परफ्यूमरी, सिरामिक्स ग्लास में थोक व्यापार	95	91	97	99	0	2	855	650	810	900	0	105
14	लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएं	9	9	9	9	47	47	7,655	7,655	7,655	7,655	39,976	39,976
15	स्वच्छता सेवाएं	17	18	20	20	31	31	391	102	590	590	915	915
16	पूंजीगत सामान की मरम्मत और मरम्मत सेवाएं	550	556	563	570	219	224	31,067	31,431	32,107	32,387	12,441	12,691
17	विविध अनिर्दिष्ट समूह	1,003	1,010	1,000	1,002	3,141	3,143	39,207	39,966	40,001	40,111	1,25,734	1,25,830
	कुल	**8,954**	**8,978**	**9,059**	**9,121**	**8,622**	**8,643**	**4,15,278**	**4,16,833**	**4,20,156**	**4,19,578**	**4,03,517**	**4,04,602**

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

5.3 उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या तीन प्रमुख उद्योग समूहों में पंजीकृत हैं (1) कपड़ा उत्पाद, (2) बुनियादी धातु और मिश्र धातु (3) धातु उत्पाद और कलपूर्जे मशीनरी।

6. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

6.1 फैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी फैक्टरी में 10 या अधिक श्रमिक काम करते हैं और विद्युत का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पंजीकरण अधिनियम की धारा 2 एम (i) के तहत किया जाना चाहिए, 20 या इससे अधिक श्रमिकों वाले और विद्युत का इस्तेमाल नहीं करने वाले उद्योगों का पंजीकरण अधिनियम की धारा 2एम (ii) के तहत किया जाता है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों के लिए किया जाता है।

विवरण 9.6

दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख संकेतक

क्र.सं	प्रमुख संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पंजीकृत कारखाने (संख्या)	2878	2976	3183	2980	2928	2852	2639	2459
2.	पूंजी (करोड़ रुपये)								
क	अचल पूंजी	4469	8938	10661	5903	6532	6922	6973	6630
ख	कार्यशील पूंजी	8216	10352	8137	10722	11391	9126	8990	5543
ग	**कुल**	**12685**	**19290**	**18798**	**16625**	**17923**	**16048**	**15963**	**12173**
3.	**रोजगार**								
क	कामगार	79036	76867	81901	76250	76697	74747	75172	70414
ख	कामगारों से भिन्न	43495	41911	44453	39481	41406	39035	36604	34732
ग	**कुल**	**122531**	**118778**	**126354**	**115731**	**118103**	**113782**	**111776**	**105146**
4.	मानव दिवस (लाख में)	371	359	376	350	355	343	339	319
	कुल परिलब्धियां (करोड़ रुपये में)	**1972**	**2260**	**2578**	**2489**	**2778**	**2793**	**2897**	**2910**

स्रोतः दिल्ली सांख्यिकीय पुस्तिका, 2020

7. औद्योगिक एस्टेट

7.1 औद्योगिक एस्टेट/क्षेत्रों का परिचालन और रखरखाव

दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और 4 फ्लैटिड फैक्टरी परिसर हैं। इसके अलावा 22 नॉन–कन्फर्मिंग औद्योगिक बस्तियों को विकास के लिए अधिसूचित किया गया है। दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के तहत सभी औद्योगिक क्षेत्रों को रखे जाने के लिए 28 मार्च 2011 को दिल्ली औद्योगिक विकास परिचालन और रखरखाव (डीआईडीओएम) अधिनियम 2010 अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के तहत नियमों को 11 नवंबर 2011 को अधिसूचित किया गया है।

7.2 33 औद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 24 औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम को सौंपे गए हैं। जिनके रखरखाव और उन्नयन के लिए निगम उत्तरदायी है। इन 24 औद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 12 क्षेत्रों का लीज प्रशासन डीएसआईआईडीसी के पास है और शेष 12 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डीडीए के पास। इन 12 औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्व संग्रह और विभिन्न प्रकार के जुर्माने/प्रभार लगाने का अधिकार डीडीए या संबंधित डीएमसी के पास है।

7.3 भारत सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह औद्योगिक क्षेत्रों को रख रखाव के लिए डीएसआईआईडीसी को सौंप दे। माननीय उपराज्यपाल ने भी शेष औद्योगिक एस्टेटों का हस्तांतरण रख–रखाव और 12 औद्योगिक क्षेत्रों का लीज प्रशासन डीडीए से औद्योगिक एस्टेट को सौंपे जाने का आदेश जारी किया है।

7.4 डीएसआईआईडीसी के पास उपर्युक्त 24 क्षेत्रों में से नरेला और बवाना क्षेत्रों का प्रबंधन, सभी प्रकार की सेवाओं जैसे जलापूर्ति, ठोस कचड़ा प्रबंधन, सड़क और नालियां, स्ट्रीट प्रकाश व्यवस्था और बागवानी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत रियायती संधि की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है। रियायतग्राही वर्ष 2013–14 के दौरान पुनर्विकास कार्य पूरा कर लिया था और इसके बाद से दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के रख–रखाव और प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। रख–रखाव कार्य 2026 तक किया जाना है। रखरखाव, सीईटीपी और जल शुल्क भूखंड स्वामी से लिया जा रहा है। डीएसआईआईडीसी को रखरखाव की 13 वर्ष की अवधि के दौरान रियायतग्राही को प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क का भुगतान करना है।

7.5 पांच औद्योगिक क्षेत्रों–मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 और 2, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–3 में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का काम लगभग 105 करोड़ रुपए की लागत से जारी है। कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, जीटीके औद्योगिक क्षेत्र और ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–3 (शेष कार्य) में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का कार्य 52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किए जाने का दायित्व हाल ही में सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।

7.6 रिहायसी क्षेत्रों से उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए बवाना औद्योगिक क्षेत्र के फेज–2 का विकास डीएसआईआईडीसी द्वारा भोरगढ़ में 431.50 एकड़ के क्षेत्र में वर्ष 2010 में किया गया था।

7.7 भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संकुल विकास के लिए सूक्ष्म, लघु उद्यम–संकुल विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसई–सीडीपी) बनाई है। इस योजना के तहत अनुदान सहायता के लिए डीएसआईआईडीसी द्वारा आठ औद्योगिक क्षेत्रों/ फ्लैटेड फैक्ट्री की पहचान उन्नयन और पुनर्विकास के लिए की गई है। मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास कार्य पूरा हो गया है और शेष 7 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है।

8. नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में औद्योगिक समूहों का विकास

8.1 दिल्ली में 29 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र और चार फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर हैं। लेकिन कई उद्योग नॉन–कनफार्मिंग यानी वर्जित क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका के सिलसिले में मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों/नॉन

कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों तथा अन्य निषिद्ध उद्योगों में 01 अगस्त, 1990 या इसके बाद स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया।

8.2 रिहायशी/नॉन कन्फॉर्मिंग इलाकों में चल रहे उद्योग समूहों का न्यूनतम स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट के, न्यूनतम 4 हेक्टेयर निकटवर्ती क्षेत्र वाले 25 नॉन कन्फॉर्मिंग औद्योगिक समूहों का नये सिरे से विकास करने के बारे में अधिसूचना जारी की है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकाय/भूस्वामी एजेंसी द्वारा सोसायटी (भू–स्वामियों द्वारा गठित) के परामर्श से, अपेक्षित नियमों पर विचार करते हुए तैयार की जाएगी।

9. दिल्ली वित्त निगम

9.1 दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) की स्थापना पंजाब वित्तीय निगम का पुनर्गठन कर राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1967 में की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय उद्योंगों तथा सेवा क्षेत्र सहित, सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र में सेवा उद्यमों का विकास और संवर्द्धन करना है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डीएफसी दिल्ली सरकार का उपक्रम है और इसकी स्थापना संसदीय अधिनियम द्वारा की गई है। निगम पर इसकी शुरूआत से ही दिल्ली सरकार के प्रबंधन नियंत्रण है। दिल्ली सरकार (68.17 प्रतिशत), चंडीगढ प्रशासन (7.66 प्रतिशत) और सिडबी (23.71 प्रतिशत) के साथ निगम का प्रमुख शेयरधारक है। निगम की पेड–अप शेयर पूंजी 26.48 करोड़ रुपए है, जबकि अधिकृत शेयर पूंजी 250 करोड़ रुपए है।

9.2 निगम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, सेवा क्षेत्र उद्योंगों, वाणिज्य/परिवहन क्षेत्र के संचालन के लिए ऋण प्रदान करना है। डीएफसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निगम रेस्त्राओं, होटलों, मनोरंजन पार्क और अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियों, वाणिज्यिक परिसरों/मल्टीप्लेक्स, अस्पतालों/नर्सिंग होम/क्लीनिक/नैदानिक केंद्र के निर्माण और वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

9.3 दिल्ली वित्त निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित उद्योंगों की वित्तीय जरूरतें पूरी करता है। उद्योगों और सेवा क्षेत्र इकाईयों जैसे– चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल/नैदानिक केंद्र, परिवहन क्षेत्र, होटल, रेस्त्रां, पर्यटन संबंधी गतिविधियों जैसे मनोरंजन पार्क, सम्मेलन केंद्र, उपग्रह संपर्क, ऑडियो–विडियो/विजुअल संचार, हाइटेक कृषि उद्योग, फूल उद्योग, टिश्यू कल्चर, एक्वा पॉल्ट्री फार्मिंग, ब्रीडिंग हैचरी सहित सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिकस से संबंधित सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर सेवाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

पिछले आठ वित्तीय वर्षों के दौरान निगम के प्रदर्शन से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 9.7

दिल्ली वित्त निगम का कार्यनिष्पादनः वर्ष 2013–14 से 2020–2021 तक

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मंजूरी	संवितरित राशि	वसूली
2013-14	7.19	6.65	50.78
2014-15	60.72	9.14	43.70
2015-16	23.19	49.36	52.40
2016-17	1.71	2.78	41.69
2017-18	24.28	25.25	40.24
2018-19	0.80	0.79	42.67
2019-20	0.87	0.15	38.02
2020-21	0.17	0.58	10.86

10. पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित शेड

डीएसआईआईडीसी ने भारत सरकार द्वारा 1973–74 में शुरू पांच लाख रोजगार कार्यक्रम लागू करने के लिए 840 औद्योगिक शोडस का निर्माण किया है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 9.8

पांच लांख रोजगार' कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक शेड्स

क्र. सं	परिसर का नाम	शेड की संख्या
1.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज एक	232
2.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज दो/एक	112
3.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज दो/दो	34
4.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज दो/तीन	59
5.	वजीरपुर औद्योगिक परिसर	103
6.	लॉरेंस रोड औद्योगिक परिसर	90
7.	झिलमिल ताहिरपुर औद्योगिक परिसर,	33
8.	रोहतक रोड औद्योगिक परिसर, फेज–1	177

11. स्व–वित्त पोषण योजना के तहत शेड्स

डीएसआईआईडीसी ने स्व–वित्त पोषण योजना के अंतर्गत भी 456 औद्योगिक शेड्स का निर्माण निम्नांकित स्थलों पर किया है।

विवरण 9.9

स्व वित्त पोषण योजना के तहत औद्योगिक शेड्स

क्र सं	परिसर का नाम	शेड्स की संख्या	स्वीकृत उद्योग
1.	कीर्ति नगर पैकिंग परिसर	226	टिम्बर और पैकिंग से संबंधित
2.	मंगोलपुरी इंजीनियरिंग परिसर	94	लाइट इंजीनियरिंग
3.	ओखला कम्प्यूटर परिसर	31	कम्प्यूटर से संबंधित
4.	रोहतक रोड औद्योगिक परिसर	105	सामान्य

12. साझा बहिस्राव अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) का निर्माण

दिल्ली शहर के विकास के साथ ही पर्यावरण संबंधी सरोकार अधिक गंभीर होकर सामने आने लगे हैं। दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के निर्माण की जिम्मेदारी मिली।

डीएसआईआईडीसी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), के सहयोग से इस परियोजना का निष्पादन किया है। डीएसआईआईडीसी ने वजीरपुर, मंगोलपुरी, जीटी करनाल रोड, मायापुरी, बादली, एसएमए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, झिलमिल, नांगलोई, लारेंस रोड, नरेला, बवाना और नारायण में 13 सीईटीपी का निर्माण पूरा किया है। इन 13 में से 11 सीईटीपी को संचालन और रख–रखाव के लिए संबंधित सोसोयटीज को सौंप दिया गया है और बबाना और नरेला के दो सीईटीपी का संचालन डीएसआईआईडीसी द्वारा रियायतग्राही के जरिए किया जा रहा है।

13. खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए केंद्र का गठन

डीएसआईआईडीसी ने बबाना में 14 एकड़ जमीन पर खतरनाक कचरे के उपचार, भंडारण और निस्तारण केंद्र के विकास का काम 25 वर्ष की अवधि के लिए बीओटी आधार पर मेसर्स तमिलनाडु कचरा प्रबंधन लिमिटेड सौंपा है। इस संबंध में डी,सआईआईडीसी ने 30.11.2019 स्वीकृति पत्र जारी किया था और 18.12.2019 को कार्यान्वयन पत्र जारी किया गया। इससे बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 24.10.2020 को मंजूरी दे दी। मेसर्स तमिलनाडु कचरा प्रबंधन लिमिटेड ने डीपीसीसी को स्थापना की सहमति के लिए आवेदन किया है। अनुमति मिलने के बाद निस्तारण केंद्र के विकास का कार्य शुरू होगा। इस बीच, रियायतग्राही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अन्य विभागों/एजेंसियों से आवश्यक मंजूरी ले रहा है।

14. दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

14.1 दिल्ली खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1983 (01.05.1983) में हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1966 का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक विस्तार करते हुए की गई थी।

14.2 बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य खादी और ग्रामीण उत्पादों को बढावा देना और लोकप्रिय बनाना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रोजगार के अवसर सृजित करना है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में।

14.3 इस समय बोर्ड रोजगार सृजन की दो योजनाएं लागू कर रहा है। (i) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार की राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना और (ii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इन योजनाओं के तहत प्रगति का ब्योरा नीचे दिया गया है।

14.3.1. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना (आरजीएसआरवाई)

विवरण 9.10

आरजीएसआरवाई की प्रगति

क्र. स.	मद	उपलब्धियां	
		2019-20	2020-21
1.	ऋण उप समिति की बैठकों की संख्या	3	01
2.	लक्ष्य (मामलों की संख्या)	40*	20*
3.	मंजूर मामलों का ब्यौरा		
	क. मामलों की संख्या	14	12
	ख. स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)	38.325	33.90
4.	वितरित किए गए ऋण का ब्यौरा		
	क. मामलों की संख्या	18 पुराने 13 नए 5	15 पुराने 3 नए 12
	ख. संवितरित राशि (लाख में)	24.21	33.837

स्रोतः उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

**संशोधित अनुमान के अनुसार संशोधित*

14.3.2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

यह योजना सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को केवीआईसी और डीआईसी के साथ राज्य कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, केवीआईसी के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।

विवरण 9.11
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य		बैंकों द्वारा दिए गए ऋण संदर्भ	
		संख्या	मार्जिन राशि	संख्या	राशि (मार्जिन राशि)
1.	2019-20	270	286.65	106	136.27
2.	2020-21	96	₹ 287.45 लाख ₹ 12.55* लाख	केवीआईबी 51 केवीआईसी 21 कुल 72	केवीआईबी 74.97 केवीआईसी 70.64 कुल 145.61

* *वर्तमान पीएमईजीपी इकाई (एक परियोजना) के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण।*

14.3.3 विपणन गतिविधियां/प्रदर्शनियां

बोर्ड कलाकारों/व्यक्तिगत उद्यमियों को बोर्ड द्वारा कार्यान्वित रोजगार सृजन योजना के तहत अपनी इकाईयों के गठन के लिए विपणन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड भारत में किसी भी स्थान पर खादी ग्रामोद्योग गतिविधियों के तहत गठित इकाईयों को भी विपणन प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। दिल्ली एक सुविकसित विपणन केंद्र है। वर्तमान में बोर्ड के दो विभागीय बिक्री केंद्र काम कर रहे हैं, पहला उद्योग सदन पटपड़ गंज में और दूसरा दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट नई दिल्ली में।

14.3.4 अन्य गतिविधियां

बोर्ड ने दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयों से रद्दी छांटी गई सामग्री एकत्र कर रहा है और इसके बदले में कार्यालय को फाइल कवर और अन्य स्टेशनरी सामान जरूरत के अनुसार उपलब्ध करा रहा है। इससे दिल्ली में स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण सृजित करने में मदद मिलेगी।

15. नए औद्योगिक क्षेत्रों/केंद्रों का विकास

15.1 रानीखेड़ा, मुंडका में बहु–स्तरीय विनिर्माण केंद्र (मल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब) का विकासः

रानीखेड़ा में 147 एकड़ से भी अधिक जमीन पर विश्वस्तरीय श्रेणी का बहुस्तरीय विनिर्माण केंद्र बनाने की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना से लगभग डेढ लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 13 लाख 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

वर्तमान स्थिति

एनडीएमसी की स्थाई समिति ने 17 नवंबर 2017 को लेआउट योजना स्वीकृत की है। उत्तरी दिल्ली नगर–निगम ने 14.1.2021 को भवन योजनाएं मंजूर कर ली हैं। मेसर्स सीबीआरई दक्षिण एशिया प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के कार्य संपादन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इसकी जिम्मेदारी वित्तीय मॉड्यूल तय करना और परियोजना की स्थापना के लिए संभावित विनिर्माताओं/व्यापार घरानों का चुनाव करना है। हालांकि, एफएआर 150 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी गई है। इससे अनुसार ले–आउट प्लान को संशोधित किया जा रहा है।

15.2 बपरौला दिल्ली में ज्ञान आधारित औद्योगिक पार्क

- डीएसआईआईडीसी बपरौला में लगभग 55.20 एकड़ क्षेत्र में ज्ञान आधारित औद्योगिक पार्क–केबीआई विकसित कर रहा है। अनुमानित परियोजना लागत लगभग 2,575 करोड़ रुपए है। यह परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, मीडिया, अनुसंधान और विकास, रत्न और आभूषण तथा अन्य व्यापारिक सेवाओं की जरूरतें पूरी करेगी। इससे लगभग एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग एक लाख 70 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।

- मेसर्स सी.बी.आर.ई. को परियोजना के लिए कार्य संपादन सलाहकार नियुक्त किया गया है।

15.3 कंझावाला में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास

डीएसआईआईडीसी की कंझावला में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित परियोजना 920 एकड़ में विस्तारित एक प्रमुख ग्रीनफील्ड परियोजना होगी। इस परियोजना से उत्तर–पश्चिम दिल्ली के औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।

यह परियोजना दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 और दिल्ली की उद्योग नीति 2010–21 का अनुपालन करते हुए विकसित की जाएगी। कार्य संपादन सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

16. कारोबार करने में आसानी

- कारोबार में आसानी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट है। वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक समूह इसे विस्तारित कर रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया के 190 देशों में व्यापार नियमों को लेकर कंपनियों की लागत का मापन करना है।

- इसके तहत किया गया अध्ययन प्रत्येक वर्ष समय, लागत और प्रक्रियाओँ का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिनका सामना विभिन्न देशों में कंपनी विशेष को करना होगा। इसके आधार पर प्रत्येक देश की रैंकिंग तय की जाती है। रैंकिंग के द्वारा सुधारों को बढावा देने वाले देशों और उनके नेताओं की प्राथमिकता तय की जाती है।

- कारोबार में सुगमता रिपोर्ट (डीबीआर) किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन दस मानकों के आधार पर करता है। ये मानक उन देशों में व्यापार संबंधी नियमों और उन्हें लागू करने के तौर–तरीकों का मापन करते हैं। भारत का प्रदर्शन दो प्रमुख शहरों दिल्ली और मुंबई के मूल्यांकन पर आधारित है। डीबीआर के मानक हैं–

❖ व्यापार शुरू करना
❖ निर्माण परमिट प्राप्त करना
❖ सीमा के आर–पार व्यापार
❖ ऋण शोधन अक्षमता का समाधान
❖ बिजली प्राप्त करना

- ❖ संपत्ति का पंजीकरण
- ❖ ऋण सुविधा प्राप्त करना
- ❖ छोटे निवेशकों की सुरक्षा
- ❖ करों का भुगतान
- ❖ अनुबंध लागू करना

- इन दस मानकों में से छह मानक राज्य के कार्यक्षेत्र में आते हैं। जैसे–कारोबार शुरू करना, निर्माण की अनुमति प्राप्त करना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति पंजीकृत कराना, करों का भुगतान और अनुबंध लागू करना।

- डीबीआर में भारत का प्रदर्शन दो शहरों दिल्ली और मुंबई के मूल्यांकन पर आधारित है। दिल्ली में व्यापार माहौल में सुधार से भारत को कारोबार सुगमता की वैश्विक रैंकिंग में लाभ हुआ है। यह 2017 के 130वें स्थान से 2020 में 63वें स्थान पर आ गया है। यह उपलब्धि भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए विरल उपलब्धि है।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनेक व्यापार सुधार लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इनका उद्देश्य नियामक रूप–रेखा को सरल बनाना और व्यापार के अनुकूल माहौल सृजित कर निवेशक का भरोसा बढ़ाना है।

- डीबीआर 2020 में दिल्ली का प्रदर्शन, निर्माण परमिट, बिजली और करो के भुगतान के संदर्भ में मुंबई से बेहतर रहा है। मुंबई ने संपत्ति पंजीकरण संकेतक में बेहतर प्रदर्शन किया है।

- वैश्विक उल्लेख के आधार पर दिल्ली का प्रदर्शन तीन संकेतकों में– संपत्ति के पंजीकरण, करों के भुगतान और अनुबंध लागू करने में काफी पीछे रहा है। इन आधारों पर दिल्ली, कतर, बहरीन और सिंगापुर से पीछे है। इसलिए डीबीआर 2022 के लिए संबंधित विभागों को इन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, ताकि दिल्ली और समग्र रूप से भारत का प्रदर्शन बेहतर हो सके।

17. निर्यात संवर्धन

नीति आयोग की शासन परिषद ने 15–06–2019 को हुई पांचवीं बैठक में राज्य सरकार (औद्योगिक विभाग) को 2024 तक देश को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ाने और निर्यात संभावनाओं का पता लगाकर, अपनी प्रमुख क्षमताओं की पहचान कर और अपने निर्यात संबर्धन की प्रणाली विकसित कर अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुणे से ढाई गुणा करने का भी निर्देश दिया गया। निर्यात संवर्द्धन की तैयारी, उत्कृष्ट निर्यातकों के लिए, जो अपनी सेवाओं और वस्तुओं के निर्यात से राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, राज्य निर्यात पुरस्कार के जरिए उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास निर्यात संवर्द्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पांच विभिन्न निर्यातक समूहों को कुल पांच उत्कृष्ट निर्यातक पुरस्कार।

18. पी एम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना

इस योजना का शुभारंभ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की साझादेरी से किया गया। इसे अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। इस योजना के लिए धन उपलब्ध कराने का अनुपात 60:40 (केंद्र : राज्य) रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूद सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है और ब्रैंडिंग और मार्केटिंग को मजबूत कर संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ इस क्षेत्र को औपचारिक रूप देने का प्रयास बढ़ाना है।यह नई योजना इन इकाईयों को सामान्य सेवाओं जैसे साझा प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और इन्क्यूवेशन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। यह योजना लागत वस्तुओं की खरीद, साझा सुविधाओं और उत्पादों की विपणन सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) व्यवस्था अपनाती है। योजना के लिए ओडीओपी मूल्य श्रृंखला विकास की रूपरेखा और सहयोगी अवसंरचना उपलब्ध कराएगी। एक जिले में ओडीओपी उत्पादों का एक से अधिक संकुल हो सकता है। एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिलों के लिए ओडीओपी उत्पादों का संकुल स्थापित किया जा सकता है। डीएसआईआईडीसी इस योजना को लागू करने की नोडल एजेंसी है। राज्यस्तरीय उन्नयन कार्यक्रम की तैयारी जारी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

19. स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना

19.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने दिल्ली के लिए स्टार्टअप नीति बनाई है और इसे लागू करने की प्रक्रिया में है। सरकार दिल्ली में नवाचार/इन्क्यूवेशन सेंटर गठित करने की भी प्रक्रिया में है। उद्योग विभाग को स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए नोडल विभाग बनाया गया है तथा प्रधान सचिव सह आयुक्त, उद्योग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।

19.2 इन नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विश्व के शीर्ष दस स्टार्टअप गणतव्यों में एक बनाना। इसके लिए एक सक्रिय और प्रभावी स्टार्टअप प्रणाली सुनिश्चित करना जिसके तहत सभी हितधारकों को साथ लाने और स्टार्टअप उद्यमों को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए दुनिया के सर्वोत्तम अभ्यासों का लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

- विश्वस्तरीय नवाचार/इन्क्यूबेशन केंद्र विकसित करने के लिए दिल्ली सरकार जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है वे हैं– (i) नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण (ii) आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (iii) साईबर सुरक्षा और तकनीकी नवाचार (iv) ऑटोमेशन (v) शिक्षा (vi) शहरी बुनियादी ढांचा योजना और विकास (vii) बिग डेटा (viii) ठोस कचरा प्रबंधन (ix) परिवेशी वायु प्रदूषण नियंत्रण और (x) रोबोटिक्स।

- किसी स्टार्टअप लक्ष्य पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति इस नीति के तहत निश्चित लाभ लेने और एक उद्यमी के रूप में मान्यता के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हुए आवेदन कर सकता है।

i वह दिल्ली का निवासी हो

ii ऐसे विचार पर काम कर रहा हो जो नवाचारी होने के साथ–साथ व्यावहारिक हो

19.3 स्टार्टअप के लिए

दिल्ली स्टार्टअप नीति के तहत कोई भी उद्यम स्टार्टअप के रूप में तभी मान्य होगा जब वह नीति में दी गई शर्तें पूरी करता हो।

19.4 इन्क्यूबेटर के लिए

स्टार्टअप कंपनियों को शुरूआती चरणों के दौरान एक व्यावहारिक व्यवसाय मॉडल के रूप में विकसित करने में मदद करने वाली व्यवस्था और संसाधन इन्क्यूबेटर हैं। इसके तहत व्यापार को सहयोग देने वाले संसाधन और सेवाएं जैसे भौतिक स्थल, पूंजी, कोचिंग और परामर्श, कॉरपोरेट और कानूनी सेवा सहित साझा सेवाएं और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है।

इस नीति के लिए किसी केंद्रीय या राज्य सरकारी सहयोग पहल के तहत वित्त पोषित या पंजीकृत कंपनी भी इन्क्यूबेटर मानी जाएगी। इन्क्यूबेटर को न्यूनतम दो हजार वर्ग फुट का उपयोगी स्थल उपलब्ध कराना होगा।

19.5 बुनियादी ढांचा सहयोग

दिल्ली सरकार विश्वस्तरीय इन्क्यूबेशन केंद्र सृजित करने में निवेश करेगी, जो स्थानीय स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा दे सकेंगे।

19.6 दिल्ली नवाचार केंद्र और नेटवर्क

सरकार एक अत्याधुनिक इन्क्यूबेटर, दिल्ली नवाचार केंद्र गठित करेगी जिसके माध्यम से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप या उद्यम निशुल्क या रियायती दर पर इन्क्यूबेशन सहयोग पा सकेंगे। इन्क्यूबेटर स्टार्टअप उद्यमों को कार्यालय स्थल और स्टार्टअप पोर्टल सुविधा के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यह पोर्टल व्यक्तियों, स्टार्टअप उद्यमों और इन्क्यूबेटर के लिए एक ही स्थल से जरूरी सहयोग प्राप्त करने का केंद्र साबित होगा। दिल्ली स्टार्टअप नीति के तहत जानकारी या प्रोत्साहन, योग्य मेंटर, नेटवर्किंग और वित्त जुटाने के अवसर सहित जानकारी उन्हें इस पोर्टल से मिल सकेगी। यह पोर्टल स्टार्टअप संबंधी सभी जिज्ञासाओं के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन का काम करेगा। इसके माध्यम से दिल्ली सरकार की द्वार पर उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सह कार्यस्थलों का नेटवर्क भी, कम से कम प्रत्येक जिले में एक, गठित किया जाएगा। यह कार्यस्थल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप उद्यमों या उद्यमियों के उपयोग के लिए निशुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध होंगे।

19.7 विश्वविद्यालय इन्क्यूबेटर के लिए पूंजी अनुदान

दिल्ली सरकार इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करने या इसे उन्नत करने की इच्छा रखने वाले किसी भी विश्वविद्यालय को 1 करोड़ रुपए तक का पूंजी अनुदान एक बार उपलब्ध कराएगी। विश्वविद्यालय में कार्यरत इन्क्यूबेटर को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि यह सुविधा विशेष रूप से केवल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है या सब के लिए उपलब्ध

है। यह अनुदान किसी भी पूंजीगत व्यय (इन्क्यूबेटर के लिए रियल एस्टेट की लागत को छोड़कर) में उपयोग किया जा सकता है। यह अनुदान पूर्व निर्धारित कार्यों को पूरा करने पर चरणों में संवितरित किया जाएगा।

19.8 **ब्याजमुक्त ऋण**

सरकार मान्यता प्राप्त स्टार्टअप या उद्यमियों को 10 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। ऋण का संवितरण निर्धारित चरणों को पूरा करने के बाद किया जाएगा। यह ऋण पहले एक वर्ष के लिए ब्याज मुक्त होगा, एक वर्ष के बाद 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

20. मास्टर प्लान दिल्ली 2041

20.1 दिल्ली मास्टर प्लान, मौजूदा स्थिति के आकलन से दिल्ली के विकास को गति देने और वांछित विकास प्राप्त करने के उपाय सुझाने की रूप–रेखा है। मास्टर प्लान की एंकर एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण है। इस प्लान का कार्यान्वयन केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंधित विभाग, सेवा प्रदाताओं, भू–स्वामित्व एजेंसियों, नियामक और स्थानीय निकायों सहित दिल्ली के विकास से जुड़ी सभी एजेंसियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

20.2 दिल्ली के लिए पहला मास्टर प्लान 1962 में, दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत जारी किया गया था। इसके बाद मास्टर प्लान 2011 और 2021 आए। इनमें से प्रत्येक प्लान, पिछले प्लान दस्तावेज का व्यापक संशोधन और सुधार उपलब्ध कराता है। 20 वर्ष के लिए तैयार मास्टर प्लान दिल्ली के नियोजित विकास की समग्र रूप–रेखा उपलब्ध कराता है। मास्टर प्लान दिल्ली 2041 एक रणनीतिक और सक्षम रूप–रेखा है, जो पिछले प्लान के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर शहर के भावी विकास को निर्देशित करेगा।

21. दिल्ली चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संवर्द्धन नीति 2021

दिल्ली चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संवर्द्धन नीति 2021 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। इसके तहत संवर्द्धन नीति में निवेश के लिए आवेदकों को आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपनी परियोजना के अनुसार प्रोत्साहन/सब्सिडी घोषित और अधिसूचित की है।

पुनर्विकास के लिए अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में औद्योगिक संकुलों का नोटिफिकेशन।
निम्नलिखित औद्योगिक संकुलों को अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पुनर्विकास के लिए अधिसूचित किया गया है।

1. मुंडका (उत्तरी), गोदाम/ दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुसार नॉन कंफर्मिंग क्षेत्र में संकुल के पुनर्विकास के लिए 14.06.2021 को अधिसूचित ।

2. नेताजी सुभाष विहार टिकरी कलां, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुसार 08.12.2021 को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित।